उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

क्रिमिनल अपील नम्बर 270 वर्ष 2015

शिव कुमार साहू ..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ..... प्रतिवादी

उपस्थित–

श्री नरेन्द्र बाली, अपीलार्थी के अधिवक्ता,

श्री अमित भट्ट, सहायक महाधिवक्ता एवं श्री पंकज जोशी, राज्य के अधिवक्ता

क्रिमिनल अपील नम्बर 380 वर्ष 2015

मिचेल जेम्स ..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ..... प्रतिवादी

उपस्थित –

श्री संदीप अधिकारी एवं सुश्री जॉयसी इरविन, अपीलार्थी के अधिवक्ता,

श्री अमित भट्ट, सहायक महाधिवक्ता एवं श्री पंकज जोशी, राज्य के अधिवक्ता

क्रिमिनल जेल अपील नम्बर 03 वर्ष 2016

शिव कुमार साहू ..... अपीलार्थी

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य ..... प्रतिवादी

उपस्थित –

श्री संदीप अधिकारी एवं सुश्री जॉयसी इरविन, अपीलार्थी के अधिवक्ता,

श्री अमित भट्ट, सहायक महाधिवक्ता एवं श्री पंकज जोशी, राज्य के अधिवक्ता

पीठ–

माननीय सुधांशु धूलिया, जज,

माानीय रविन्द्र मैठाणी, जज

1. ये तीनों अपीलें विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा सत्र विचारण संख्या 188 वर्ष 2013 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 05.08. 2015 से उत्पन्न हुई हैं।

2. दो अपीलें अर्थात आपराधिक अपील संख्या 270 वर्ष 2015 एवं आपराधिक जेल अपील संख्या 03 वर्ष 2016 एक ही अभियुक्त/अपीलार्थी

अर्थात शिव कुमार साहू द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 188 वर्ष 2013 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 05.08.2015 के विरुद्ध योजित की गयी हैं, जिसमें आरोपी/अपीलकर्ता शिव कुमार साहू को धारा 307 भा0द0स0 के तहत दोषी ठहराया गया है और 1,00,000/– रुपये जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपराधिक जेल अपील सख्या 03 वर्ष 2016 असावधानी के कारण दायर की गयी है।

3. आपराधिक अपील संख्या 380 वर्ष 2015 एक अन्य सह अभियुक्त मीकल जेम्स द्वारा दायर की गयी है, जिसमें सत्र परीक्षण संख्या 188 वर्ष 2013 में विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 08.08.2015 को चुनौती दी गयी है, जिसमें अभियुक्त/अपीलकर्ता मीकल जेम्स को भा0द0स0 की धारा 120बी सपठित धारा 307 भा0द0स0 के तहत दोषी ठहराया गया है और 25,000/– रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी है।

4. श्रीमती सुनीता साहू (इस मामले की पीड़िता) का विवाह श्री शिव कुमार साहू के साथ वर्ष 2009 में इलाहाबाद में हुआ था। तत्पश्चात उपलब्ध अभिलेखों से प्रतीत होता है कि दोनों अलग–अलग रह रहे थे। श्री शिव कुमार साहू दिल्ली में निजी स्कूल में चालक के पद पर कार्यरत थे, जबकि सुश्री सुनीता साहू नेवादा, इलाहाबाद में अपनी बहनों एवं मां के साथ रहती थी।

5. दिनांक 14.07.2013 को पीड़िता को उसके पति शिव कुमार साहू का फोन आया, जिसमें उसने दिनांक 15.07.2013 को दिल्ली आने को कहा, साथ ही चेताया कि यह बात किसी और को नहीं बतानी है। उसने पीड़िता से वादा किया कि अबसे दोनों साथ रहेंगे और उनके जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएग। पीड़िता अपने पति के बतायेनुसार दिनांक 15.07.2013 को इलाहाबाद से दिल्ली आ गयी। वहां सुश्री सुनीता साहू अपने पति से दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिलीं और फिर कुछ दिनों तक दोनों दिल्ली में साथ रहे। दिनांक 28.07.2013 को उनके पति शिव कुमार साहू ने अपने दोस्त माइकल जेम्स के साथ नैनीताल जाने के लिये छुट्टी की योजना बनाई और तीनों एक सार्वजनिक बस में नैनीताल के लिये रवाना हो गये। वे दिनांक 29.07.2013 की सुबह लगभग 07–7:30 बजे नैनीताल पहुंचे और तल्लीताल, नैनीताल में 'अशोक' नामक एक होटल में चैकइन किया। अगले दिन वे नैनीताल में घूमे, विभिन्न पर्यटन स्थलों को देखा और फिर 31.07.2013 को प्रातः बाद भ्रमण किया। होटल से वे स्थानीय चिड़ियाघर और अन्य दर्शनीय

स्थलों को देखने गये और शाम को 07:30 बजे से 08:00 बजे के बीच तल्लीताल के बस स्टॉप पर आ गये। उनका कार्यक्रम रात की बस से देहरादून के लिये रवाना होना था, लेकिन उनके पति और माइकल जेम्स बस में चढ़ने के बजाय उन्हें भवाली रोड पर घुमाने के लिये ले गये, इस बहाने कि उन्हें वहां एक मंदिर जाना है। इस समय तक अंधेरा घिर चुका था और रात के करीब 08:00 बज रहे थे। उनके पति का दोस्त माइकल जेम्स उनसे 10 से 12 कदम आगे चल रहा था और पीड़िता अपने पति के साथ चल रही थी, एकांत स्थान पर उसके पति ने उसे पहाड़ी से नीचे धकेल दिया, इसके बाद उसका पति और उसका साथ दोनों मौके से फरार हो गये, वह पहाड़ी से करीब 100 मीटर नीचे गिर गयी, लेकिन फिर सौभाग्य से एक पेड़ की शाखा पर फंस गयी और फिर खुद को बाहर निकालने में सफल रही और सड़क किनारे पहुंच गयी। मोटर रोड पर पहुंचने के बाद उसने शोर मचाया, इसके बाद पुलिस पहुंची और फिर उसे स्थानीय बी0डी0 पाण्डेय सरकारी अस्पताल, नैनीताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया गया। पीड़िता ने औपचारिक रूप से अपने पति और उसके साथ माइकल जेम्स के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी, जबकि उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त तथ्य संक्षेप में अभियोजन की कहानी है और पीड़िता पी0डब्ल्यू0–01 के बयान है।

6. चूंकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और पुलिस ही उसे सबसे पहले अस्पताल ले गयी और रास्ते में वह जानकारी जुटाने में भी कामयाब रही। होटल के कर्मचारियों और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से और प्रासंगिक समय पर क्योंकि उनके पास होटल के एक कर्मचारी से भी सूचना थी, जिसने शिव कुमार साहू और माइकल जेम्स को हल्द्वानी की एक बस में चढ़ते हुए देखा था, उन्होंने इस सूचना को सम्बन्धित पुलिस चैक पोस्टों को भेज दिया था और अपराधी बस से उतरते ही काठगोदाम में पकड़ लिये गये। उन्हें नैनीताल लाया गया, जहां उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपपत्र दाखिल किया, मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था, जहां अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं के खिलाफ धारा 307 व 120बी के तहत आरोप तय किये गये थे।

7. अभियोजन पक्ष ने अपना मामला स्थापित करने के लिये 10 गवाहों का परीक्षण किया है, जबकि बचाव पक्ष के कोई गवाह नहीं हैं।

8. यहां मुख्य गवाह पी0डब्ल्यू0–01 है जो घायल पीड़ित और मुख्य आरोपी शिव कुमार साहू की पत्नी है। अपनी मुख्य परीक्षा में उसने कहा है कि जब उसे बी0डी0 पाण्डे राजकीय चिकित्सालय नैनीताल में उपचार दिया

जा रहा था, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं लिखी, क्योंकि वह शिक्षित है और उसने हाईस्कूल पास किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की लिखित प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रदर्श क–1 के रूप में है, जहां वह स्पष्टता और सटीकता के साथ घटना का वर्णन करती है कि कैसे उसके पति द्वारा पहले उसे दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद नैनीताल लाया और फिर उसे वहां पहाड़ी से धकेल दिया। उसका कहना है कि बी0डी0 पाण्डे में इलाज के दौरान उसका एक्सरे किया गया था तथा बी0डी0 पाण्डे राजकीय चिकित्सालय में दो–तीन दिन रहने के बाद उसे हायर सेंटर यानि सोबन सिंह जीना अस्पताल हल्द्वानी रेफर कर दिया और कुछ दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गयी।

9. वह आगे बताती हैं कि उनके पिता का निधन वर्ष 2002 में हो गया था। चार बहनों में वह तीसरी हैं और उसकी एक छोटी बहन है, जिसकी शादी होनी बाकी है। उसका छोटा भाई उसके और उसकी मां के साथ इलाहाबाद में रहता है। वह अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहती है कि शिव कुमार साहू का भाई उसे धमकी दे रहा है और अदालत में अपना पक्ष बदलने का दबाव बना रहा है।

10. हालांकि इस गवाह का मुख्य परीक्षण दिनांक 14.03.2014 को दिया गया था, लेकिन बचाव पक्ष ने जिरह के लिये स्थगन की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया और अंततः तीन महीने से अधिक समय के बाद यानि 23.06.2014 को जिरह की गयी। तीन महीने से अधिक समय के बाद भी अपनी जिरह में पीड़िता ने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिससे उसके बयान पर रत्ती भर भी संदेह हो। वह उस स्टेंड पर दृढ़ और स्पष्ट है, जो उसने शुरू से ही लिया था कि उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है, कि पहले उसके पति ने उसे दिल्ली बुलाया और उसके बाद उसे नैनीताल ले जाया गया जहां उसे फेंक दिया गया था, जो स्पष्ट रूप से उसके पति का उसे मारने का इरादा था।

11. अपनी मुख्य परीक्षा में पीड़िता का यह भी कहना है कि यद्यपि उसकी शादी वर्ष 2009 में शिव कुमार साहू से हुई थी लेकिन इस विवाह से उन्हें कोई संतन नहीं हैं। वह यह भी बताती हैं कि शादी से पहले शिव कुमार साहू के किसी अन्य महिला के साथ भी संबंध थे। शुरू से ही उसके प्रति शिव कुमार साहू का व्यवहार रूखा था और शादी के बाद ज्यादातर समय वह अपनी मां और बहनों के साथ मायके में रही थी।

12. अदालत द्वारा उससे एक विशिष्ट प्रश्न किया गया, जिसका उसने उत्तर दिया कि दिनांक 31.07.2013 को जब वह अपने पति अर्थात आरोपी शिव कुमार साहू के साथ चल रही थी, तो आरोपी शिव कुमार साहू ने उसे

धक्का दिया था। बचाव पक्ष द्वारा पूछे जाने पर वह जबाव देती है कि गिरने के दौरान उसे कई चोटें लगी थी, उसकी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गयी थी जो एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर के साक्ष्य से भी स्पष्ट है, उसके सीने, टांगों और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आयी हैं। फिर वह कहती हैं कि वह किसी तरह ऊपर चढ़ने में सफल रही, जब उसकी मुलाकार एक पुलिस कांस्टेबल से हुई, जिसने 2–3 अन्य पुलिस कांस्टेबलों को मौके पर बुलाया, जिससे उसकी मुलाकात कांस्टेबल भानु प्रताप औली से हुई, जो मोटर साइकिल पर था। इसके बाद उसे जीप में अस्पताल ले जाया गया।

13. पी0डब्ल्यू0–02 डॉ0 अनिरुद्ध प्रासंगिक समय पर बी0डी0 पाण्डे सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर था। उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि दिनांक 31.07.2013 को समय 08:40 बजे बी0डी0 पाण्डे सरकारी अस्पताल नैनीताल में श्रीमती सुनीता साहू उम्र 22 वर्ष पत्नी शिव कुमार साहू निवासी मकान नम्बर 77 गली नम्बर 8 हैदरपुर, दिल्ली कांस्टेबल भानु प्रताप औली के साथ इलाज के लिये आयी थी। डॉक्टर ने देखा कि उसके बाल, कपड़े एवं हाथ आदि गीले थे और उसने यह भी देखा कि उसके पूरे शरीर पर मिट्टी और सूखी पत्तियां चिपकी हुई थीं। पीड़िता के शरीर का तापमान भी सामान्य से काफी कम था। आगे की जांच में डॉक्टर ने उसके सीने के बाईं और और उसके कंधे में चलने में कठिनाई हुई और उसके एक्सरे में यह देखा गया कि उसके बाएं कॉलरबोन में फ्रैक्चर हो गया था, उसके दाहिनें घुटने पर चोट के निशान थे और दूसरे घुटने पर भी खरोंच थी। वह अपने गाल के दाहिने हिस्से में भी दर्द की शिकायत कर रही थी।

14. चिकित्सक के अनुसार चोट नम्बर 1 से 4 किसी कुंद वस्तु के कारण होना चाहिए था। चोटें ताजा थीं और उन्होंने एक आर्थोपेडिक संर्जन को आगे की जांच के लिये भेजा। बाद में पता चला कि उसके कॉलरबोन में फ्रैक्चर है, जिसका पता एक्सरे कराने के बाद चला, जो कि एक गंभीर चोटर है।

15. इस गवाह की जिरह भी टाल दी गयी और 26.07.2014 को की गयी, उसकी जिरह में एसा कुछ भी नहीं निकला है, जिससे अभियोजन पक्ष का केस कमजोर हो।

16. श्री भानु प्रताप औली कांस्टेबल थे, जिनकी दिनांक 15.07.2014 को पी0डब्ल्यू0–03 के रूप में परीक्षा हुई थी। अपनी मुख्य परीक्षा में उनका कहना है कि 31.07.2013 को वह तल्ली ताल में ड्यूटी पर थे। जब वह भवाली रोड पहुचे तो उन्होंने सड़क किनारे एक महिला को घायल हालत में पड़ा देखा और पूछताछ की तो उसने अपना नाम श्रीमती सुनीता साहू

निवासी इलाहाबाद बताया। इसके बाद इस गवाह का कहना है कि थानाध्य क्ष के निर्देश पर वह व एक अन्य सिपाही संजय कुमार घायल को बी0डी0 पाण्डे अस्पताल नैनीताल ले गये। पीड़िता ने उसे बताया कि उसके पति शिव कुमार साहू और उसके दोस्त माइकल जेम्स ने उसे जान से मारने की नियत से पहाड़ से फेंक दिया था। इस गवाह से भी जिरह की गयी लेकिन जिरह में ऐसा कुछ नहीं निकला, जिससे इस गवाह पर कोई शक हो।

17. पी0डब्ल्यू0–04 हरेन्द्र सिंह बोरा और पी0डब्ल्यू0–05 हरीश फर्त्याल उस होटल के कर्मचारी हैं, जहां पीड़िता ने अपने पति और उसके साथी के साथ दिनांक 29.07.2013 को चैक इन किया था और जहां वे दो रात रूके थे। इन दोनों गवाहों ने पीड़िता के साथ–साथ आरोपी को भी पहचान लिया। उन्होंने होटल में चैक इन के समय आरोपी शिव कुमार साहू के हस्ताक्षर के साथ ही उस आई डी की भी पहचान की जो उसने होटल में चैक इन के समय दी थी। आरोपी ने पीड़िता को अपनी पत्नी और दूसरे को अपना भाई बताया। इन दोनों गवाहों की गवाही अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अभियोजन पक्ष के मामले से घटना के समय की पुष्टि करता है। तथ्य यह है कि घटना के तुरन्त बाद, लगभग 08:30 बजे से 08:40 बजे दोनों आरोपी हल्द्वानी के लिये बस में सवार हुए, जिसे पी0डब्ल्यू0–04 हरेन्द्र सिंह बोरा ने देखा था, महत्वपूर्ण है। प्रमाणों में यह भी आया है कि अशोक होटल तल्लीताल बस स्टेशन के बहुत पास है और किसी ने यह सवाल नहीं किया है कि पी0डब्ल्यू0–04 हरेन्द्र सिंह बोरा ने आरोपी को हल्द्वानी की बस में चढ़ने नहीं देखा था। उनकी सूचना पर ही आरोपियों को काठगोदाम में पकड़ा गया और वापस नैनीताल ले जाया गया, जहां उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। पी0डब्ल्यू0–05 पुलिस पार्टी के साथ काठगोदाम भी गया था, जहां अभियुक्तों पहचान उसके द्वारा बस से उतरते ही की गयी थी।

18. पी0डब्ल्यू0–06 राजकुमार वह व्यक्ति है, जिसने प्राथमिकी लिखी है और पी0डब्ल्यू0–07 बसंत लाल आर्य बस का परिचालक है, जिसने अभियोजन की कहानी का मामले में समर्थन किया है।

19. पी0डब्ल्यू0–08 डॉ0 आर0 के0 वर्मा रेडियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने पुष्टि की है कि रेडियोलॉजिकल जांच में यह पाया गया कि पीड़िता की कॉलर बोन टूट गयी थी।

20. पी0डब्ल्यू0–07 उत्तम सिंह प्रभारी निरीक्षक, जांच अधिकारी हैं। अपनी मुख्य परीक्षा में उसका कहना है कि दिनांक 31.07.2013 को वे पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे और जब वे अन्य साथियों के साथ भवाली रोड पर गये तो उन्होंने पीड़िता को देखा और इसके बाद उन्होंने अन्य कांस्टेबलों

को बुलाया और पीड़िता को पहले होटल और फिर अस्पताल ले जाया गया। बाद में होटल के कर्मचारियों में से एक यानि पी0डब्ल्यू0–5 हरीश फर्त्याल को लेकर वह काठगोदाम गया और अपराधियों को पकड़ लिया।

21. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र बाली ने यहां बताया कि पीडब्ल्यू0–03 भानु प्रताप औली और पी0डब्ल्यू0–09 उत्तम सिंह के बयानों के बीच एक विसंगति है, क्योंकि दोनों का कहना है कि वे वहीं हैं, जिन्होंने सबसे पहले पीड़िता को देखा था।

22. वास्तव में यहां कोई विसंगति नहीं है। पी0डब्ल्यू0–03 वह है, जिसने सबसे पहले पीड़िता को देखा था, बाद में पी0डब्ल्यू0–09 भी मौके पर पहुंचा था। भले ही यह एक विसंगति है, परन्तु यह अत्यन्त मामूली है और समग्र अभियोजन साक्ष्य की ताकत को देखते हुए इस कथित ''विसंगति'' का लाभ अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं को नहीं दिया जा सकता है।

23. पी0डब्ल्यू0–10 संजय कुमार पाण्डेय सब इंस्पेक्टर है, जो एक औपचारिक गवाह है।

24. यहां जो साक्ष्य का एक अत्यन्त प्रासंगिक टुकड़ा है, वह पीड़िता पी0डब्ल्यू0–1 का बयान है। पूरे मामले में पीड़िता का बयान आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। उनके बयान में विल्कुल भी विसंगति नहीं है। वह शिक्षित है और उसने सबसे दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में भी उसने साहस दिखाया। वह उन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताती हैं, जिसमें उसे धकेल दिया गया था, और उसके पति के हाथों विश्वासघात, जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। भले ही उसकी जिरह तीन महीने के लिये टाल दी गयी, लेकिन वह अपने बयान पर कायम है। आरोपी के भाई द्वारा उसे लगातार धमकाने के बावजूद उसके बयान में कोई विसंगति नहीं है। इसके अलावा उसके बयान की पुष्टि अन्य गवाहों के बयानों से भी होती है।

25. उसके बयान के साथ चिकित्सा साक्ष्य और अन्य गवाहों के बयानों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से दो अभियुक्तों के आचरण की पुष्टि होती है।

26. यह एक ऐसा मामला है, जिसे अभियोजन पक्ष ने किसी भी उचित संदेह से परे साबित किया है।

27. जैसा कि पहले ही ऊपर कहा गया है कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाही घायल गवाह यानी पी0डब्ल्यू0–1 की है। एक घायल गवाह की गवाही को आपराधिक कानून में विशेष दर्जा दिया जाता है। यह तथ्य कि गवाह को चोट लगी है, अपराध के स्थान पर उसकी उपस्थिति की गारंटी है, और क्योंकि यह एक घायल गवाह है, वह अपने वास्तविक हमलावर या अभियुक्त को सजा से बचाना नहीं चाहेगी। इसलिये एक घ

ाायल गवाह के बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए, जब तक कि प्रमुख विरोधाभासों के आधार पर इस साक्ष्य को खारिज करने लिये बहुत मजबूत आधार न हों, बालेश्वर महतो और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (2017) 3 एससीसी 152 में रिपोर्ट किये गये मामले में हाल ही में माननीच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोहराये गये मामले में यह एक स्थापित कानून है। राजगोपाल बनाम मुथुपंडी अलियास थावक्कलाई और अन्य (2017) 11 एससीसी 120 में रिपोर्ट किया गया। ....

28. बचाव पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 31.07.2013 को जब तीनों तल्लीताल बस अड्डे पर पहुंचे तो पीड़िता लापता हो गयी, उन्होंने उसको खोजने की व्यर्थ तलाश की। जब वे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिये तल्लीताल पुलिस स्टेशन गये तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे इस बात से इंकार करते हैं कि वे काठगोदाम गये थे। इसके विपरीत हालांकि अभियोजन पक्ष के पास पीडब्ल्यू–1 की गवाही के अलावा पर्याप्त सबूत हैं कि दोनों अभियुक्त वास्तव में मौके से भाग गये थे। पी0डब्ल्यू–5 हरीश फर्त्याल होटल के कर्मचारी ने अदालत के सामने बयान दिया था कि वह पुलिस पार्टी के साथ गया था और आरोपी व्यक्तियों को काठगोदाम से गिरफ्तार किया गया था, जब वे बस से उतर रहे थे।

29. जहां तक माइकल जेम्स की भूमिका संबंध है, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप अधिकारी ने तर्क दिया कि माइकल जेम्स को कोई सक्रिय भूमिका नहीं सौंपी गयी थी। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि पीड़िता का बयान कहीं भी अपीलकर्ता (माइकल जेम्स) को सक्रिय भूमिका नहीं देता है। अपीलकर्ता (माइकल जेम्स) अपनी उपस्थिति स्वीकार करता है और यह भी स्वीकार करता है कि उसने शिव कुमार साहू और उसकी पत्नी के साथ दिल्ली से नैनीताल की यात्रा की थी और उनके साथ नैनीताल के होटल में रुका था और कमरे में रूका था, लेकिन उसका अपराध आदि के साथ कोई लेना–देना नहीं है।

30. यह सच है कि पीड़िता ने माइकल जेम्स को कोई सक्रिया भूमिका नहीं सौंपी है, क्योंकि वो वह व्यक्ति नहीं है, जिसने उसे पहाड़ों में फेंका था। बहरहाल, देखने वाली बात यह है कि पूरा घटनाक्रम क्या है। यह माहकल जेम्स ही थे, जो शिव कुमार साहू और उनकी पत्नी के साथ दिल्ली से नैनीताल आए थे और एक ही कमरे में रूके थे। वह मुख्य आरोपी शिव कुमार साहू का करीबी सहयोगी और विश्वासपात्र है। सबसे महत्वपूर्ण घटना के तुरन्त बाद उसका आचरण है। वह मुख्य आरोपी के साथ घटनास्थल से भाग गया और हल्द्वानी के लिए बस में सवार हो गया और बाद में पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ कठागोदाम में उसे पकड़

लिया। इसलिए कथित साजिश में माइकल जेम्स की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। हालांकित पीड़िता यह भी नहीं कहती है कि माइकल ने उसे धक्का दिया था, फिर भी वह अपनी पूछताछ में स्पष्ट रूप से कहती है कि दोनों आरोपी उसे नैनीताल ले आए और घटना के बाद दोनों आरोपी उसे मरा समझकर मौके से भाग गए। इसलिए माइकल जेम्स के दोष को नकारा नहीं जा सकता।

31. इस लिए हम दोनों आरोपियों की सजा को बरकरार रखते हैं। एक मात्र प्रश्न सजा का है ?

32. सजा सुनाते समय, कम करने वाली ओर उग्र करने वाली दोनों परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। अभियुक्त माइकल जेम्स की कोई सक्रिया भूमि नहीं थी, फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि वह निर्दोष है। वह अभी भी अपराध में भागीदार है।

33. इस न्यायालय को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि अभियुक्त माइकल जेम्स को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12. 2016 को जमानत दी गई थी, लेकिन वह रिहा नहीं हो सका क्योंकि वह अपनी जमानत की व्यवस्था नहीं कर सका।

34. अभियुक्त माइकल जेम्स की भूमि को ध्यान में रखते हुये और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह पहले ही पांच साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है हम उसकी सजा को पहले से ही पूरी की गई अवधि तक कम कर देते हैं और आदेश देते हैं कि उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। दी गई सजा की अवधि मे सजा की अवधि भी शामिल होगी, जिसे वह अन्यथा जुर्माना अदा न करने पर भुगतने के लिए उत्तरदायी था।

35. अपीलार्थी शिव कुमार साहू एक कठोर अपराधी नहीं है, हालांकि हमारे सामने मुख्य आरोपी है। हमस इसे उचित मानते है कि आजीवन कारावास के बजाय 10 साल के सश्रम कारावास से उसके मामले में न्याय की पूति होगी, इसलिए हम शिव कुमार साहू के मामले में आजीवन कारावास की सजा को 10 साला के कठोर कारावास में परिवर्तित करते हैं। उसे मुबलिग 1,00,000/—रूपये का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने के दशा में अपीलार्थी अतिरिक्त छः माह का कारावास भोगेगा।

36. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुऐ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 05.08.2015 को संशोधित किया जाता है कि अपीलार्थी शिव कुमार साहू को विचार न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन

कारावास की सजा को घटाकर दस वर्ष के कठोर कारावास और मुबलिग 1,00,000/—रूपये जुर्माना किया जाता है, जिसको अदा न करने पर उसे छः माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी माइकल जेम्स को सात साल की अवधि के लिए दी गई सजा को घटाकर पहले से जेल में बिताई अवधि तक कर दिया गया है।

37. अभियुक्त माइकल को तत्काल रिहा किया जाये। यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित न हो।

38. इस फैसले की एक प्रति बाद आवश्यक कार्यवाही अवर न्यायालय को मय पत्रावली प्रेषित की जाये।

(रविन्द्र मैठानी, न्यायाधीश) **(सुधांषु धूलिया, न्यायाधीश)**

दिनांक 07.12.2018